# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

## अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2024/688

1. रूपा पत्नि श्री हाकीम सिंह उर्फ हाकम,
2. रोहिताश पुत्र श्री हाकीम सिंह उर्फ हाकम,
3. दिनेश पुत्र श्री हाकीम सिंह उर्फ हाकम,
4. मंजू नाबालिग,
5. अंजू नाबालिग पुत्रीयान हाकीम सिंह उर्फ हाकम जरिये सरपरस्त माता रूपा, जाति अहीर, निवासी ग्राम तुलेडा, तहसील व जिला अलवर, राज0।

**–अपीलान्ट्स**

**बनाम**

1. मोहर सिंह यादव पुत्र श्री घमण्डीराम यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम तुलेडा, तहसील व जिला अलवर, राजस्थान।
2. ग्राम पंचायत तुलेडा, तहसील व जिला अलवर जरिये सरपंच।

**–रेस्पोडेन्ट्स**

**अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर निर्णय दिनांक 11.06.2018 जिसके द्वारा अपील संख्या 05/2012 बाबत इन्तकाल संख्या 1863 ग्राम तुलेडा दिनांक 20.08.2014**

**उपस्थित :–**

1. श्री विजय सिंह राठौड़, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. श्री राजाराम चौधरी,रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

**निर्णय**

**दिनांक–23.12.2024**

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 11.06.2018 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 21.01.2019 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने ग्राम पंचायत तुलेडा, पंचायत समिति उमरैण, जिला अलवर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1863 पर पारित निर्णय दिनांक 20.08.2014 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर ने अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत तुलेडा, पंचायत समिति उमरैण, जिला अलवर द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1863 दिनांक 20.08.2014 को अपास्त किया गया एवं प्रकरण तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि प्रकरण की नियमानुसार जॉच कर पुनः निर्णय किये जाने हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.06.2018 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 11.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्रीमती रूपा पत्नी श्री हाकीम सिंह उर्फ हाकम द्वारा यह अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 11.06.2018 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.06.2018 न्याय आपके द्वार–2018 राजस्व लोक अदालत, अटल सेवा केन्द्र पर अपीलान्ट्स की गैर मौजूदगी एवं बिना सुने वगैर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपील इन्तकाल संख्या 1863 दिनांक 20.08.2014 के विरूद्ध दिनांक 14.07.2016 को प्रस्तुत की गयी थी। जो स्पष्टतया मियाद बहार थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून


अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मियाद अधिनियम का निर्णय पारित न करके अपील का निर्णय दिनांक 11.06.2018 को पारित किया गया। जबकि कानूनन सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना चाहिए था। इसलिए तहत् न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार दिनांक 24.08.2016 को अपीलान्ट संख्या 3 की ओर से अन्डरटेकिंग न्यायालय में दी गई थी। उसके पश्चात् दिनांक 19.10.2016 से 23.01.2018 तक तहत् न्यायालय की पत्रावली में सील लगाकर वास्ते तलबी रेस्पोडेन्ट चलती रही। दिनांक 27.02.2018 को रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अन्तिम अवसर दिया गया और पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 16.03.2018 नियत की गई और दिनांक 16.03.2018 को सील लगाकर वास्ते तलबी रेस्पोडेन्ट हेतु दिनांक 24.04.2018 नियत की गई। लेकिन तहत् न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 24.04.2018 की कोई आदेशिका नही है और पत्रावली में दिनांक 09.05.2018 को मोहर लगाते हुए ग्राम तुलेडा में आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प में प्रकरण को निस्तारण किये जाने बाबत् उपस्थित होने हेतु दिनांक 11.06.2018 नियत की गई और दिनांक 11.06.2018 को तहत् न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया गया। लेकिन दिनांक 09.05.2018 व 11.06.2018 की आदेशिका के सम्बन्ध में अपीलान्ट्स को कोई सूचना नही थी। यहां तक कि पत्रावली रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु चल रही थी। ऐसी स्थिति में पत्रावली में वगैर रेस्पोडेन्ट की तामिल हुए व वगैर रेस्पोडेन्ट को सुने कानूनन निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। तहत् न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका से स्पष्ट है कि अपीलान्टान की कोई तामिल ना तो तहत् न्यायालय द्वारा जारी की गई और ना ही तामिल कराई गई और ना अपीलान्टान को सुना गया। जबकि न्याय का यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि सभी पीडित पक्षकारों को सुनकर निर्णय पारित किया जावे लेकिन तहत् न्यायालय ने कानून की पालना न करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारीत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

इन्तकाल संख्या 1863 अपीलान्ट्स के पति व पिता की विरासत का इन्तकाल है। जिसमें केवल मृतक के वारिसान के बारे में जांचकर इन्तकाल दर्ज व तस्दीक किया जाता है। लेकिन विद्वान तहत् न्यायालय ने विरासत के इन्तकाल में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारीत किया है जो सरासर कानून के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कोई सम्बन्ध वास्ता व सरोकार विवादित आराजी से था तो वह नियमित वाद दायर कर रिलिफ प्राप्त कर सकता था लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कानून के विपरित जाकर अपील कर अपीलाधीन निर्णय प्राप्त किया है। राजस्व लोक अदालत में प्रस्तुत विवादों का निर्णय उसी सूरत में किया जाता है जब दोनों पक्ष उक्त पत्रावली में विवाद को निस्तारण कराने पर सहमत हो और दोनों की सहमति से ही निर्णय पारित किया जाता है। जिसके लिए दोनों पक्षों को अदालत में सहमति देनी पडती है। तत्पश्चात् राजस्व लोक अदालत में निर्णय पारित किया जाता है लेकिन उक्त पत्रावली में राजस्व लोक अदालत के नियमों का पालन न करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इन्तकाल संख्या 1863 निर्णय दिनांक 20.08.2014 में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 पक्षकार नही था। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपील करने से पूर्व तहत् न्यायालय से अपील करने की इजाजत लेना आवश्यक था लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने इजाजत लेने के लिए कोई प्रार्थना पत्र तहत् न्यायालय में प्रस्तुत नही किया ओर विद्वान तहत् न्यायालय ने भी इन सभी आवश्यक बिन्दुओं को नजर अन्दाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.12.2018 को पटवारी हल्का के द्वारा हुई। जिस पर अपीलान्ट्स ने तहत् न्यायालय में आकर अपने वकील साहब से सम्पर्क किया तो उन्होनें तहत् न्यायालय में जानकारी की तो पता चला कि दिनांक 11.06.2018 को लोक अदालत कैम्प तुलेडा में अपील का निर्णय पारित कर दिया गया है। जिस पर मिन अपीलान्ट संख्या 3 ने नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 21.12.2018 को प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 26.12.2018 को प्राप्त हुई। जिस पर वकील साहिबान से सलाह मशवरा किया व पैसे आदि का इन्तजाम किया। जिन्होनें उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील करने की सलाह दी। जिस पर यह अपील बिना किसी देरी के आज न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। देरी के लिए दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से मय शपथ प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण के तथ्यों एवं


अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय तहत् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर दिनांक 11.06.2018 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित खसरा नम्बर हाल 2870 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम तूलेडा का 1/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार अपीलान्ट्स के पिता/पति हाकिम सिंह उर्फ हाकम पुत्र धर्मचन्द उर्फ धर्मसिंह जाति अहीर निवासी तूलेडा था जो फौत हो गया। अपीलान्ट्स के पिता हाकिम सिंह ने विवादित आराजी को अपने जीवनकाल में जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 01.08.2013 द्वारा बेचान कर कब्जा सम्भलवा दिया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बैयनामें के आधार पर विवादित आराजी पर काबिज है। अपीलान्ट्स का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। बैयनामें के आधार पर रेस्पोडेन्ट के हक उक्त खरीदशुदा आराजी का इन्तकाल बय दर्ज व तस्दीक नहीं हुआ है। इसका नाजायज फायदा उठाकर हाकम सिंह के मरने के बाद विवादित आराजी का विरासत नामान्तकरण संख्या 1863 हाकम सिंह के वारिसान अपीलान्ट्स ने अपने नाम दर्ज करवा लिया। अतः अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर उचित एवं विधिसम्यक है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट्स को नकल प्राप्त होने की दिनांक 26.12.2018 से होना अंकित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदा आराजी है। जिसका नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलान्ट के पिता हाकिम सिंह से बैयनामा करवाया था, किन्तु उक्त बयनामें का इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ इससे पूर्व ही हाकिम सिंह का स्वर्गवास हो गया और उसकी विरासत का इन्तकाल उसके वारिसान अर्थात अपीलान्ट्स के नाम दर्ज हो गया। पंजीकृत बैयनामा हो जाने के पश्चात विक्रेता के वारिसान के नाम किया गया नामान्तकरण विधिवत प्रतीत नहीं होता है। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में बैयनामा को चुनौती भी नहीं दी गई है। निर्णय में मात्र प्रक्रियात्मक त्रुटियां होना ही अपील का मुख्य आधार बनाया गया है। प्रक्रियात्मक त्रुटियों के आधार पर प्रस्तुत अपील में कोई विशेष बल प्रतीत नहीं होता है। पंजीकृत बयनामें के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय जिसे राजस्व लोक अदालत द्वारा कोरम से पारित किया गया है को मात्र प्रक्रियात्मक त्रुटियों के आधार पर अपास्त किया जाना उचित नहीं समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर दिनांक 11.06.2018 यथावत रखा जाता है।

( डॉ. प्रवीण कुमार )
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 23.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर